DIRECT SELLING DISTRIBUTORS WELFARE ASSOCIATION
(Registration No. S/RS/SW/0880/2013)
109, First Floor, Vardhman Key Point Plaza, Plot No. 1, Sector 6, Local Shopping Centre
(Near DAV Public School), Dwarka, New Delhi-110075
Ph.: 011-43071768 I Email: admin@dsdwa.org I URL: www.dsdwa.org

क्रमांक : DSDWA/Memorandum/1314/01 दिनांक 07 मई 2013

माननीय प्रधान मंत्री जी,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषयः डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए नियम–कानून की मांग।

मान्यवर,

हम डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन (डीएसडीडब्ल्यूए) की ओर से आपका अभिनन्दन करते हैं। यह संस्था भारत में कार्यरत 7 करोड़ से अधिक डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटरों का प्रतिनिधित्व करती है।

लगभग 20 वर्ष पहले देश में आरम्भ हुए डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय ने जनसंख्या के एक बड़े भाग को विभिन्न कम्पनियों में डिस्ट्रीब्यूटरों की तरह स्वरोजगार दिया और उद्यमी बनाया। इस व्यवसाय से अर्थव्यवस्था में तथा समाज में बहुत से बदलाव दिखे। दूर–दराज के क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हुआ और लोगों का पैन रजिस्ट्रेशन हुआ। महिलाएं उद्यमी बनीं, अल्प–शिक्षित जनता को भी सम्पन्नता की राह दिखी।

समय के साथ इस व्यवसाय में समस्याएं भी दिखने लगीं। कई जानकारियों के लिए छः मंत्राालयों में विभिन्न आरटीआई में पूछे गए 15 प्रश्नों के जवाब में जानकारी मिली कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई भी मंत्रालय या विभाग जिम्मेवार नहीं है और यह व्यवसाय सन् 1872, 1930 तथा 1978 में बनाए गए एक्ट व कानूनों के अन्तर्गत रखा गया है। मुक्त अर्थव्यवस्था के हिसाब से बनी व्यवस्थाओं को बंद अर्थव्यवस्था के समय बनाए गए एक्ट व कानूनों के द्वारा नियमन करने से बहुत सी समस्याएं बनी हुई हैं।

देश को डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के नियमन के लिए प्रासंगिक नियम व कानूनों की आवश्यकता है। उचित नियमन के अभाव में इस व्यवसाय का दुरुपयोग हुआ है और मनी सर्कुलेशन जैसी स्कीमों ने आम जनता के साथ अन्याय किया है।

यह जानना आवश्यक है कि कन्ज़्यूमर अफ़ेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा गठित इंटर–मिनिस्ट्रीरियल कमेटी ने अगस्त/सितम्बर 2012 में ''ड्राफ़्ट मॉडल रूल'' नामक जो दस्तावेज़ तैयार किया था, उसके अनुसार देश में सभी प्रकार की डायरेक्ट सेल ही गैर कानूनी हो जातीं।

आज देशहित में डायरेक्ट सेलिंग के लिए नियम–कानून की मांग रखने के लिए जन्तर–मन्तर पर आज लगभग 10,000 डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटरों ने एक विशाल सभा

DIRECT SELLING DISTRIBUTORS WELFARE ASSOCIATION
(Registration No. S/RS/SW/0880/2013)
109, First Floor, Vardhman Key Point Plaza, Plot No. 1, Sector 6, Local Shopping Centre
(Near DAV Public School), Dwarka, New Delhi-110075
Ph.: 011-43071768 I Email: admin@dsdwa.org I URL: www.dsdwa.org

आयोजित की है। इस सभा में पारित हुआ है कि आम जनता के हित को देखते हुए निम्नलिखित पर तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता है :

1. डायरेक्ट सेलिंग के लिए विशेष रूप से वर्तमान समय के हिसाब से प्रासंगिक कानूनों का प्रावधान किया जा सकता है।
2. एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा सकती है।
3. पुराने एक्टों में प्रासंगिक बदलाव करके वर्तमान समय की व्यवस्थाओं के लायक बनाया जा सकता है।

मान्यवर, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आज सम्पन्न हुई विशाल सभा की भावनाओं को समझकर आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि देश भर में फैले डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटरों की विशाल जनसंख्या का अहित न हो।

हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे।

धन्यवाद सहित,

सुरेन्द्र वत्स
अध्यक्ष, DSDWA
e-mail- president@dsdwa.org
Mob: 9015897768; Off: 011-43071768

प्रतिलिपिः

1. मिनिस्ट्री ऑफ़ कन्ज़्यूमर अफ़ेयर्स
2. मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफ़ेयर्स
3. मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ाइनेंस
4. मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफ़ेयर्स
5. मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
6. मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ
7. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली
8. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई
9. चेयरमैन प्लानिंग कमीशन
10. चेयरमैन इंटर–मिनिस्ट्रीरियल कमेटी